हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

की

उन्तीसवीं बोर्ड बैठक

हेतु

कार्य–सूची

दिनांक: 18 / 06 / 2008

समय: 03:00 बजे अपराह्न

स्थान:–

सभागार, मण्डलायुक्त कार्यालय, मेरठ

मद सं0– 04

विषयः प्राधिकरण की प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना हेतु समझौते के आधार पर भूमि की दरों के निर्धारण के संबंध में।

प्रस्तावः प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 9.59 हेक्टेयर है। योजना के अन्तर्गत दो ग्रामों अच्छेजा व श्यामनगर की भूमि अधिग्रहित की गयी है। योजना की भूमि के अर्जन हेतु धारा 4(1)/17 एवं धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 06/06/2005 एवं दिनांक 07/07/2006 को प्रकाशित हो चुकी है।

योजना के कियान्वयन हेतु किसानों से करार नियमावली के अन्तर्गत समझौता वार्ता नौ चरणों में की गयीं, जिसमें अन्तिम वार्ता दिनांक 30/05/2008 को की गयी, लेकिन किसानों द्वारा अधिक मुआवजे की मांग के कारण सहमति नहीं बन सकी। वार्ता में कृषकों द्वारा प्रीत विहार द्वितीय चरण योजना में दी गयी सुविधाओं सहित (06 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि एवं सेक्टर रेट पर व्यवसायिक भूखण्ड) तथा आनन्द विहार आवासीय योजना में दी गयी सुविधाओं सहित (06 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि) सहित आनन्द विहार योजना में दी गयी 800/– प्रति वर्ग मीटर की दरों का उल्लेख कर उससे अधिक दरों की मांग की जा रही है तथा कृषक इससे कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है।

प्राधिकरण की 28वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09/05/2008 में आनन्द विहार आवासीय योजना हेतु रू0 800/– (आठ सौ) प्रति वर्ग मीटर की दर के साथ 10 प्रतिशत भूमि का मुआवजा न देते हुए 06 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि रू0 342/– (तीन सौ बयालिस) प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लेते हुए योजना की भूमि अधिग्रहीत किये जाने हेतु कृषकों से साथ सहमति हो गयी है। आनन्द विहार योजना में ग्राम अच्छेजा, चमरी एवं सबडी के कुल 622 कृषक हैं, जिनमें से दिनांक 10/06/2008 तक 143 कृषकों द्वारा करार नियमावली के अन्तर्गत करार पत्र भरा जा चुका है। सम्भवतः 10 दिन में लगभग सभी कृषकों द्वारा करार पत्र भर दिया जायेगा तथा प्रतिकर विरण भी दिनांक 25/06/2008 से प्रारम्भ हो जायेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना एन0 एच0 24 पर आनन्द विहार योजना के सामने ही स्थित है, जिस कारण योजना के प्रभावित कृषकों द्वारा आनन्द

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार हैं:-

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की अटठाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 09/05/2008 की कार्यवाही की पुष्टि।	अट्ठाईसवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की अटठाईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 09/05/2008 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	गत बोर्ड बैठक दिनांक 09/05/2008 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
3	आनन्द विहार आवासीय योजना की भूमि की विक्रय दरों का निर्धारण एवं अनुमोदन।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4	प्राधिकरण की प्रीत विहार विस्तार आवासीय योजना हेतु समझौते के आधार पर भूमि की दरों के निर्धारण के संबंध में।	रू0 800/- (आठ सौ) प्रति वर्ग मीटर की दर के साथ 10 प्रतिशत भूमि का मुआवजा न देते हुए 06 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि रू0 342/- (तीन सौ बयालिस) प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लेते हुए अधिग्रहीत की गयी भूमि का समझौता करार नियमावली के तहत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। 06 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि की सुविधा मूल कृषकों को ही देय होगी।
5	हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्र में हापुड़ व गढ़ के मध्य 44 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

के० सी० आदर्श
पी० सी० एस०
उपाध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़ (गाजियाबाद) उ०प्र०